

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 286

दिनांक 20/07/2021/29 आषाढ, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

सीसीटीएनएस तक पहुंच

†286. डॉ. शशि थरूर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) और अन्य सरकारी डेटाबेस तक निजी कंपनियों को पहुंच प्रदान करने हेतु अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी कंपनियों को सीसीटीएनएस तक पहुंच हेतु अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ऐसी कंपनियों को पहुंच प्रदान करेगी जो इस सूचना के लिए भूगतान करेंगे;

(घ) यदि हां, तो अपेक्षित भूगतान का ब्यौरा क्या है और इस भूगतान को निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) नागरिकों के डेटा के संरक्षण और निजी कंपनियों द्वारा क्या सुरक्षोपाय किए जाएंगे?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): जी, नहीं।

(ख) से (ङ): उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।
